दिनांक 14.3.08 को मृतक शिवलाल काछी निवासी अम्बोदिया की हत्या कर लाश घर में पडी थी। सूचना पर से पुलिस द्वारा जांच उपरांत अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 55/08 धारा 302,201 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस को मृतक के भाई श्यामलाल काछी के विरूद्ध ही साक्ष्य प्राप्त होने पर दिनांक 17.3.08 को गिरफ्तार कर मात्र दो दिन में इस अंधे कत्ल का खुलासा किया गया